

झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव)
(संशोधन) विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) (संशोधन) विधेयक, 2016

(सभा द्वारा यथापरित)

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 में संशोधन हेतु विधेयक।

झारखण्ड विधान सभा द्वारा भारत के गणतंत्र के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ —

(क) यह अधिनियम झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा।

(ख) यह झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होगा।

(ग) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से लागू होगा।

2. धारा 2 की उपधारा (छ) में संशोधन —

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 के धारा 2 के विद्यमान उपधारा (छ) में वर्णित शब्द "पर्यटक वार्डन" को "सहायक (पर्यटक) पुलिस" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. धारा 4 की उपधारा (घ) में संशोधन —

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 के धारा 4 के विद्यमान उपधारा (घ) में वर्णित शब्द "पर्यटक वार्डन" को "सहायक (पर्यटक) पुलिस" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. धारा 17 की उपधारा (छ) में संशोधन —

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 के धारा 17 के विद्यमान उपधारा (छ) में वर्णित शब्द "पर्यटक वार्डन" को "सहायक (पर्यटक) पुलिस" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

5. धारा 2 की उपधारा (छ) में संशोधन —

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 धारा 2 के विद्यमान उपधारा (छ) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है :-

"सहायक (पर्यटक) पुलिस से अभिप्राय है जैसे व्यक्तियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति जो कि सक्षम प्राधिकार द्वारा या तो सेवा निवृत्त पुलिस अधिकारी या तो भूतपूर्व सैनिक से सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा चयनित या स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवकों के बीच से चयनित, अथवा ऐसे सरकारी कर्मी जिनको इस कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाए"।

यह विधेयक झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) (संशोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 29 जुलाई, 2016 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 29 जुलाई, 2016 को सभा द्वारा पारित हुआ।

किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं शक्ति -

(क) यह अधिनियम झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 कहलाएगा।

(दिनेश उराँव)

अध्यक्ष ।

(ख) यह झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होगा।

(ग) यह सहायक पुलिस से अधिनियमित होने की विधि से लागू होगा।

2. धारा 2 की उपधारा (क) में संशोधन -

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 के धारा 2 के विद्यमान उपधारा (क) में उचित शब्द "पर्यटक कार्ड" को "सहायक (पर्यटक) पुलिस" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. धारा 4 की उपधारा (ख) में संशोधन -

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 के धारा 4 के विद्यमान उपधारा (ख) में उचित शब्द "पर्यटक कार्ड" को "सहायक (पर्यटक) पुलिस" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. धारा 17 की उपधारा (क) में संशोधन -

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 के धारा 17 के विद्यमान उपधारा (क) में उचित शब्द "पर्यटक कार्ड" को "सहायक (पर्यटक) पुलिस" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

5. धारा 2 की उपधारा (ख) में संशोधन -

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 धारा 2 के विद्यमान उपधारा (ख) को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है -

"सहायक (पर्यटक) पुलिस से अधिनियमित होने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति जो कि सभ्य अधिकार द्वारा या जो सेवा निवृत्त पुलिस अधिकारी या तो पूर्णपणे सेविक से शक्ति अनुदान बोर्ड द्वारा नियमित या स्थानीय शिक्षित भरोजगार युवकों के बीच से नियमित अथवा इस सरकार के सभी विभागों द्वारा कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाए"।